तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/01/25	आज यह पत्रावली पेश हुयी। वादी कमीज उप0। वादी साक्ष्य हेतु समय चाहा। वादी को साक्ष्य हेतु कई 2023 से लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे वादी की उक्त वाद में आगे चलने की इन्टरेस्ट नहीं होता है। अतः वादी का वाद 0 17 R 3 आदेश दावा तहत पेशी पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल हुआ दाखिल [illegible] (वाद [illegible] 211 [illegible] आदेश) उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

23	...... 25.7.23 को पेश हो।
25.07.23	आज यह पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी के वकील उप० हैं। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को तार्किसला वाद निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध आराजी खसरा नं० 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ के बाबत प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का उपरोक्त विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा की खातेदारी है। अप्रार्थीगण लड़ाकू व झगड़ालू प्रवृत्ति के है जो प्रार्थी को अपने हिस्से पर काश्त करने नहीं देते है तंग व परेशान करते है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी का तकासमा का यह दावा पेश किया है। अप्रार्थीगण वाद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उनको तार्किसला वाद निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमने पत्रा० का अध्ययन किया। विवादित आ० ख० नं० 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ में प्रार्थी की जमाबन्दी संवत 2077 में 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। अप्रार्थीगण वाद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। जिससे उनकी इस आराजी में कोई रुची नहीं होना पाया जाता है जिस सूरत में प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पायी जाती है।

प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तार्किसला वाद पाबं किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख० नं० 960, 1134, 1135 व 743 वाके ग्राम ढुंढारिया तह० बहरोड़ वाद पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे, काश्त के

उपयोग उपभोग में कोई रुकावट पैदा न करे और ना ही बिना विभाजन के विवादित आराजी पर कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करे और ना किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रा० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद फैसला वाद संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)